**RESUME**

Name Sonal Goyal

Date of Birth 01.09.1972

Tel No +919850073095

E-mail sonalgoyal25@gmail.com

Location Pune

Educational Qualifications

B.A.B.Ed. Regional College of Education, Shyamla Hills, Bhopal

Subjects English Literature, Hindi Literature, History, Education and Psychology

M.A. Barkatullah University, (formerly known as Bhopal University)

Subjects English Literature

Language Proficiency English, Hindi

Well versed in Marathi

Experience in language conversion jobs

Experience of 23 years in translation of various kinds of Insurance related documents, Audit reports, Administrative matters/reports, Police Complaints etc.

Looking for full-time as well as part-time translation assignments in following language pairs :

English to Hindi

Hindi to English

Marathi to English

Marathi to Hindi

Assurance of immediate and accurate translation within the given timeline at very competitive rates.

**Source Material**

**6.2 Important Decision of ESI Corporation**

 Four (04) meetings of ESI Corporation were held during the year 2019-2020 and the followings decisions were taken during the meetings.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sl. No.** | **Date & Meeting** | **Subject** | **Decision** |
| 1.  | 13.09.2019 178th ESIC | Formation of Employees’ State Insurance Society in the States.  | The Central Govt. vide letter No. S-38025-03-2019-SS-I dated 25.10.2019 has granted approval for ESI Societies in the State of Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Tripura, Punjab and Nagaland.  The Central Government has also accorded approval for formation of State ESI Society to Arunachal Pradesh on 20.03.2020. |
| 2. |  | Starting/Expanding PG(MD/MS) Courses at 06 ESIC Medical Colleges. | Required faculty was sanctioned vide letter No.A-12/25/6/2012-Med.IV (Policy) Part-II dated: 21.05.2020, 13.05.2020, 05.06.2020, 09.06.2020 & 03.06.2020 to start PG Courses as proposed by the Dean; who have submitted application to MCI for start of PG Courses.  |
| 3. |  | Adoption of Integrity Pact (IP) in major Government Procurement Activities. | Instruction regarding “Adoption of Integrity Pact (IP) in major Government Procurement Activities” has been issued vide letter No. C-11/25/04/2018-vig., dated: 15.10.2019. |
| 4. |  | Proposal for amendment of Regulation 8(1) of the ESIC (staff and conditions of service) Regulations 1959. | After receiving approval from MoL&E vide F.No.C-11025/09/2018-SS.I dated 04/12/2019, Notification has been issued in Part-III -Section-4 of The Gazette of India(weekly edition 28/12/2019- 03/01/2020) dated 11/12/2019.    |
| 5. |  | Change in Regulation 88(iv) from “twins” to “more than one child”. | The Corporation approved the proposal. |
| 6. |  | Report of the Sub-Committee on enhancement of the PDB & DB rates and the proposal for enhancement of the PDB & DB rates. | Instruction regarding “Grant of increase to compensate the erosion in the real value of PDB & DB due to inflation” has been issued vide letter No. R-12/16/9/2010-Policy-Bft.II dated: 07.11.2019. |
| 7. |  | In principle approval for ESIC collaboration with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) for opening ESIC Hospitals to provide in-house Secondary and Tertiary medical care services to PMJAY beneficiaries on user charge basis. | The Corporation approved the proposal.The 15 ESIC under utilised hospitals has been selected for opening its medical services to PMJAY beneficiaries in accordance with the provision of the Act.Ministry of Labour & Employment has conveyed the approval of Central Government for levying user charges at the NHAs extant package, for providing services to the beneficiaries of Ayushman Bharat/Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)(Other beneficiaries) by the ESIC/ESIS under-utilized hospital. |
| 8. |  | Approval for authorizing Chairman, ESIC for selecting underutilized ESI Hospital for opening its medical services to Non-insured persons in accordance with provision of “Other Beneficiaries Scheme, 2010”. |
| 9. |  | Approval for ESIC collaboration with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) for providing Secondary and Tertiary medical care services to ESI Beneficiaries in newly implemented area of 102 designated Districts through PMJAY empanelled Hospitals. | The Corporation approved the proposal.The pilot program for ESIC PMJAY has been launched with effect from 6th July 2020 for a period of 3 months in the District of Ahmednagar (Maharashtra) and Bidar (Karnataka) out of 102 implemented districts. Now after completion of pilot project 50 districts have been selected for availing of services by ESI Beneficiaries for PMJAY empanelled Hospital in the first phase. |
| 10. |  | Approval for continuation of services being provided through modified Insurance Medical Practitioners and modified Employer Utilization Dispensaries. | Letter has been issued to all Regional Directors respect of approval for extension of existing mIMP scheme for upto two months or till the roll out of mIMP on tender basis, whichever is earlier. And a letter has also been issued in respect of Continuation of services being provided through modified Employer Utilization Dispensaries vide letter no. V- 14/11/5/2018 Med-I (Catchment Area) dated 23.10.2019 & V-14/11/5/2018 Med-I (Catchment Area) dated 08.11.2019 respectively. |
| 11. |  | “In Principle” approval for setting up of 100 bedded ESI Hospital at Srinagar, J & K and 30 bedded ESI Hospital at Leh, Ladakh region. | A letter has been issued conveying decision for setting up of 100 bedded ESI Hospital at Srinagar, J&K and 30 bedded ESI Hospital at Leh, Ladakh region. Vide letter no. V-33/11/11/09/Med-II(J&K) dated 14.10.2019.  |
| 12. |  | In principle approval for opening of under-utilized services of Dispensary Cum Branch Office (DCBO) to persons covered under “Other beneficiaries and their families, medical facility scheme, 2010. |  Letter has been issued to all RDs/SMOs/SROs/DIMSs/AMOs/Deans/DMD/DMN for opening of services of under-utilized dispensary cum branch office (DCBO) to non IPs under "Other Beneficiaries and their Families, Medical Facility Scheme, 2010". Vide letter no. their families medical 04.11.2019. facility scheme, 2010" Vide letter no. 04.11.2019. |
| 13. |  | Detailed guidelines for empanelment of tie-up hospitals.  | As per the decision of the Corporation, necessary instructions have been issued for Delhi-NCR by letter No. U-16/30/547/2015-Pro.Cell(SST)/Services in ESIC Hospitals-II 30.09.2019. |
| 14. | 05.12.2019179th ESIC | Provision for preventive medicine and occupational therapy centre at Sealdah Hospital. | Letter has been issued to Director, ESI Scheme, West Bengal vide letter No. U-16/52/1/2014-Med.-II (WB) dated 17.01.2020. |
| 15. |  | Revision of Delegation of Power to Medical Superintendent for imprest amount to be increased to Rs. 2 Lakh. | Letter has been issued to all Principal Secretaries of the States vide letter No. V-13/14/38/2018-Med.I/ESIC/SC dated 06.02.2020. |
| 16. |  | Policy for release of documents of UG/PG passouts of ESIC Medical Education Institutions and ‘In-service’ doctors of ESIC availing leave for study purpose. | Memorandum dated 30.12.2019 has been issued to all the Deans for necessary action. |
| 17. |  | Starting of PG Courses at ESIC Medical College, Gulbarga-DNB Courses (Under NBE) Vs MD/MS Courses (Under MCI). | Instruction have already been issued to the Medical Colleges vide letter dated: 20.03.2020 in pursuance to decision of the ESIC taken at its 181st meeting. |
| 18. |  | Draft Policy for exemption of Tuition fee at ESIC Medical Education Institutions in Special Cases. | Letter No. L-11/12/3/2018/Corporate Cell/MEC(PF-A) dated 31.01.2020 sent to Joint Secretary, SS-I, MoL&E for approval and issue of Administrative Order. |
| 19. |  | Reconstitution of Local Committee Under Regulation 10A. | Amendment on Local Committee under Regulation 10A has been notified in Gazette of India vide Notification No.179 dated:18th May, 2020. |
| 20. |  | Approval for upgradation of ESIS Hospital, Durgapur, West Bengal from 150 Beds to 250 Beds. | Sanction letter has been issued to Principal Secretary, Labour Department, Director ESI Scheme and R.D. West Bengal vide letter No. U-16/25/11/2010-Med.-II (WB) dated 15.01.2020. |
| 21. |  | Nomination of ESIC Pensioners in ESIC/ESIS Hospital Development Committee (HDC). | A letter has been issued to all ESIC/ESIS Medical Superintendent vide letter no. U-16/18/16/2012 Med-I (HDC) dated 15.01.2020 communicating revised composition of Hospital Development Committee (HDC) members with the inclusion of ESIC pensioner in the HDC.  |
| 22. | 07.01.2020180th ESIC | Revised guidelines regarding referral to private hospitals for secondary care services. | Necessary instruction has been issued vide letter No. U-16/12/01/2018/Agenda/Reporting Item-Med. II dated 27.01.2020 to all Dean, M.S. and Regional Directors. |
| 23. | 13.02.2020181st ESIC | Enhancement of confinement expenses for confinement taking place outside ESI Dispensaries / Hospital from Rs. 5000/- to Rs. 7500/- | The Corporation approved the proposal. |
| 24. |  | Approval of recommendation by Sub-Committee on House-keeping and security services in ESIS (State run Hospitals and Dispensaries). | A letter has been issued to all Regional Directors/Medical Superintendents/SMOs/Director/JD-SRO & all DIMS/AMOs State ESI Scheme, for approval of House Keeping and Security Services in ESIS (State run Hospitals and Dispensaries) Vide letter no. V-13/14/38/2020 Med-I(ESIC/SC) Dated: 06.08.2020.  |
| 25. |  | 1. Operationalization of EWS Quota & Admission to ESIC Medical Education Institutions.
2. Provisional Admission Policy for admissions to MBBS / BDS seats under ward of IP quota for 2020-21 and thereafter.
 | 1. Formal permission for increase in seats have been received from respective councils (MCI/DCI) or the Central Government.
2. Consequent to revival of WA of ESIC challenging order dt.07.06.2019 of Learned Single Judge, Madras High Court, the provisional admission policy for 2020-21 and thereafter would be issued in public domain subject to the outcome at Madras High Court, including that of the interim application filed for under taking admission for 2020-21(I.P.Quota).
 |
| 26. |  | Approval for discontinuation of ESIC norms for setting up of One Doctor Dispensary and shifting of State run ESIS Dispensaries currently running within ESI Hospital building complex premises. | A letter has been issued to all Regional Directors/Medical Superintendents/SMOs/Director/JD-SRO & all DIMS/AMOs State ESI Scheme, for discontinuation of ESIC norms for setting up of One Doctor Dispensary and shifting of State run ESIS Dispensaries currently running within ESI Hospital building complex premises.vide letter no. V-13/14/38/2020 Med-I (ESIC/SC) dated 29.07.2020.  |

**Target Material**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ई.8  | 2019-20 की अवधि के लिए क.रा.बी.नि. के वार्षिक खातों की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि ‘कुल’ शीर्ष में दिखाए गए आंकड़ों में जोड़ सम्बन्धी त्रुटि है(अनुलग्नक-IV) | इसे सुधारा जाना/समायोजित किया जाना अपेक्षित है |  | यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्ण आंकड़ों की राशि ली जाए तो उस शीर्ष का जोड़ सही है | पूर्ण राशि को करोड़ में बदलने के कारण उस शीर्ष के कुल में कुछ मामूली अंतर हो सकता है | तथापि, जब भी आवश्यकता होती है,विभिन्न अनुसूचियों के विभिन्न खाता शीर्षों की राशि में से समायोजित करते हुए वित्तीय विवरण के अंतिम मुद्रण से पूर्व इन छोटे-मोटे अंतरों का ध्यान रखा जाता है। यद्यपि, लेखा परीक्षा की टिप्पणी को भविष्य के संदर्भ और अनुपालन के लिए नोट किया गया है। अत: उपरोक्त स्पष्टीकरण व आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा दल से अनुरोध किया जाता है कि वे इस टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.9  | क.रा.बी.नि. मुख्यालय, डीएमडी व क.रा.बी.अस्पताल झिलमिल ने समय-समय पर बिलों के भुगतान के दौरान सेवा प्रदाताओं से जीएसटी, कर्मचारियों के वेतन व बाह्य पार्टियों से स्रोत पर आयकर(टीडीएस) की कटौती की है | की गई कटौतियों तथा वास्तव में जमा की गई राशियों की स्थिति को प्राप्ति एवं भुगतान खातों (अनुबंध V) के साथ समायोजित करने की आवश्यकता है। | **मुख्यालय :** लेखा परीक्षा ने खातों के प्राप्ति पक्ष में देयता के आंकड़े नहीं लिए हैं । खातों के अनुसार कटौती के वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं:

|  |  |
| --- | --- |
| वेतन पर कर  | 5,03,23,212 |
| तृतीय पक्ष से स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) | 18,31,74,184 |
| सोसायटी/पीएलआई/संघ | 2,59,62,920 |
| सेवा कर | 7,73,17,767 |

इसके अतिरिक्त,वेतन पर टीडीएस, तृतीय पक्ष व जीएसटी की कटौतियों को रिकार्ड में प्रत्येक महीने के समक्ष दर्शाया गया है जबकि लेखा में एक माह के दौरान किये गए वास्तविक भुगतान दर्शाए गए हैं | जैसे, मार्च 2019 माह की कटौतियां (वास्तव में अप्रैल 2019 में भुगतान की गई) वित्त वर्ष 2019-20 के लेखा में शामिल नहीं थीं क्योंकि ये वित्त वर्ष 2018-19 के लेखा में प्राप्ति पक्ष में देयता के रूप में शामिल थीं | इसी प्रकार, मार्च 2020 माह की कटौतियों के सम्मुख किये गए भुगतान रिकार्ड में शामिल हैं किन्तु वित्त वर्ष 2019-20 के लेखा में शामिल नहीं हैं क्योंकि इनका भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया है ।इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने केवल वेतन पर टीडीएस से संबंधित रिकार्ड का सन्दर्भ लिया है जबकि भुगतान (लेखा) में पेंशन पर टीडीएस भी शामिल है । पेंशन पर टीडीएस का रिकार्ड अलग से रखा जाता है | और, लेखा में निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के मूल विभागों को दिए गए पेंशन अंशदान तथा छुट्टी वेतन के सम्बन्ध में किये गए भुगतान शामिल हैं, जबकि इनके सम्बन्ध में कोई प्राप्तियां नहीं हैं | **डीएमडी :** डीएमडी के संबंध में, प्रविष्टियों व रिकार्ड में कोई अंतर नहीं है । इसकी पुष्टि डीडीआर (ऋण / जमा / पाप्तियाँ ) रिकार्ड से की जा सकती है । अत: इस परिच्छेद का कृपया निपटान किया जाए | **क.रा.बी.अस्पताल, झिलमिल** : वेतन पर आयकर की कटौती: परिच्छेद "रिकार्ड के अनुसार आंकड़े" में दिखाई गई राशि में केवल नियमित कर्मचारियों के वेतन से काटा गया टीडीएस शामिल है, जबकि परिच्छेद "लेखा के अनुसार आंकड़ों” में दिखाई गई राशि में कर्मचारियों, संविदा चिकित्सा अधिकारियों (एसआर / जेआर) के वेतन, पेंशनभोगियों तथा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अदा किये गए विभिन्न बकाया बिलों का टीडीएस शामिल है । समीक्षा के पश्चात यह पाया गया कि लेखा (प्राप्तियां / भुगतान) के अनुसार तथ्यात्मक आंकड़े रु 7,29,36,743/- व रु 7,16,95,042/- हैं | वर्तमान वित्त वर्ष में रु 42,27,824/-(रसीद पक्ष) व रु 17720/-(भुगतान पक्ष) की सुधारित प्रविष्टियाँ की गई हैं | तृतीय पक्षों से टीडीएस की कटौती: समीक्षा के पश्चात, यह पाया गया कि लेखा प्राप्तियों व भुगतानों के अनुसार तथ्यात्मक आंकड़े क्रमशः रु 39781490 व 33634085 हैं । चालू वित्त वर्ष 2020-21 में प्राप्ति पक्ष में रु 3158/- की सुधारित प्रविष्टि की गई है ।सेवा कर के प्रति कटौती: समीक्षा के पश्चात यह पाया गया कि लेखा प्राप्तियों व भुगतानों के अनुसार तथ्यात्मक आंकड़े रु 39781490 व 9575805 हैं । चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भुगतान पक्ष में रु 48813 की सुधारित प्रविष्टि की गई है ।अत: उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.10  | वित्त मंत्रालय की दि 14.08.2008 की अधिसूचना सं एफ-5(88) /2006-पीआर के आंशिक संशोधन में अधिसूचना सं एफ-11/ 14/2013-पीआर के अनुदेशों के अनुसार भविष्य निधि का निवेश विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियां व सम्बंधित निवेश (न्यूनतम 45% और 50% तक), ऋण प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश (न्यूनतम 35% और 45% तक), मुद्रा बाजार लिखत (5% तक) और इक्विटी व संबंधित निवेश (न्यूनतम 5% और 15% तक) में किया जाना चाहिए । तथापि, निगम ने निर्धारित राशि हेतु अपनी अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार रु 1,091.08 करोड़ का निवेश किया था, जो भविष्य निधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसरण में नहीं था । | यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम,1995 के नियम 5 के अनुसार, "निवेश - कर्मचारी राज्य बीमा निधि की सभी राशियों के निवेश हेतु, निधि से संबंधित सभी राशियाँ कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम,1950 में निर्दिष्ट तरीके से निवेश की जाएँगी” (प्रतिलिपि संलग्न) । कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम,1950 के नियम 27 के अनुसार, निगम के महानिदेशक स्थायी समिति (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुमोदन के अधीन निधियों का निवेश कर सकते हैं।मार्च 2019 तक, समय-समय पर स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य भविष्य निधि सहित निगम का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा के रूप में किया गया था । स्थायी समिति और क.रा.बी. निगम ने वर्ष 2018 में संशोधित निवेश नीति को अनुमोदन दिया था | तदनुसार, 01 अप्रैल 2019 से निगम का निवेश संशोधित निवेश नीति के अनुसार प्रारंभ किया गया है । इसके अतिरिक्त, गैरसरकारी भविष्य निधि राशियों, ग्रेच्युटी राशियों व अधिवर्षिता राशियों द्वारा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दि 02.03.2015 की अधिसूचना द्वारा जारी निवेश पद्धति के दिशानिर्देश अपनाये जाने हैं | यहां तक ​​कि निगम के सामान्य भविष्य निधि नियम भी सामान्य भविष्य निधि अंशदान सम्बन्धी राशियों का निवेश उपरोक्तानुसार नियम 5 के अनुसार करने की अनुमति प्रदान करते हैं | अत: उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.11  | बैंक समाधान विवरणी आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है | क.रा.बी.अस्पताल बसईदारापुर, डीएमडी, क.रा.बी.अस्पताल झिलमिल की बैंक समाधान विवरणियों की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि निम्नलिखित राशियाँ असमायोजित हैं जिन पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है:**(आंकड़े रुपये में)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्रसं. | ब्योरे  | क.रा.बी.अस्पताल बसईदारापुर भा.स्टेट बैंक (खाता संख्या 51024990319) | क.रा.बी.अस्पताल झिलमिल भा.स्टेट बैंक (खाता संख्या 33189678419) | डीएमडी (खाता संख्या 10304101068) | क.रा.बी.नि.मुख्यालय(खाता संख्या 11084244187)  |
| 1  | चेक जो जारी किये गए पर भुनाए नहीं गए  | 12335684.00 | -- | -- | 4934961 |
| 2  | बैंक द्वारा क्रेडिट की गई किन्तु निगम के खाते में शामिल न की गई राशि  | 1062322.90 | 1159393 | -- | 12110 |
| 3  | एसबी में अतिरिक्त डीआर | -- | 67435 | - | - |
| 4  | बैंक द्वारा डेबिट की गई किन्तु निगम के खाते में शामिल न की गई राशि  | (26040.20) | -- | 12268786 | 27914184 |

 | यह स्पष्ट किया जाता है कि यह राशि बैंक द्वारा डेबिट की गई पेंशन से संबंधित है । रु 10748763 /- की राशि को रु 12268786 /- की कुल राशि से समायोजित किया गया है और आज की तिथि में कुल बकाया रु 1520023/- है । बैंक से संबंधित स्क्रोल प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा यह राशि बैंकों से स्क्रोल प्राप्त होने पर समायोजित की जाएगी।बैंक समाधान विवरणी एक ऐसा रिकार्ड है जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है । 2019-20 के लेखा परीक्षा द्वारा इंगित सभी लंबित समायोजन वित्त वर्ष 2020-21 में किए जा चुके हैं ।आगे यह भी बताया जाता है कि ‘बैंक द्वारा क्रेडिट की गई किन्तु निगम के खाते में शामिल न की गई राशि’(क्र.सं.2) वह राशि है जो लाभार्थियों के बैंक खातों के ब्योरे गलत होने के कारण जमा नहीं की गई है । तथापि जांच की जा रही है और यथाशीघ्र यह राशि कैशबुक में दर्ज की जाएगी और लाभार्थियों को पुनर्भुगतान किया जाएगा । (क्र.सं.3 में) एसबी में अतिरिक्त डीआर में रु 67,435/- की राशि बैंक द्वारा गलती से डेबिट की गई है | मामले को बैंक के संज्ञान में लाया गया है |**बसईदारापुर** कॉलम संख्या 1 में दिखाई गई रु 1,23,35,684/- की राशि का समायोजन किया गया है तथा अब केवल रु 1,520 का समायोजन किया जाना शेष है । अधिकांश चेक पार्टियों द्वारा भुनाए जा चुके हैं जबकि कुछ चेक जिनकी वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें कैश बुक में ले लिया गया है ।कॉलम संख्या 2 में दिखाई गई रु 10,62,322.90/ - की राशि बैंक द्वारा क्रेडिट की गई है | रु 10,62,322.90/- में से कुल रुपये 9,78,439.9/- की राशि का समायोजन किया जा चुका है तथा रु 83,883/- का समायोजन अभी बाकी है | इस संबंध में दि 28-08-2020 को बैंक को एक पत्र भेजा गया है जिसका उत्तर प्रतीक्षित है | उत्तर प्राप्त होते ही उपरोक्त राशि का भी अतिशीघ्र समायोजन किया जायेगा | लेखा परीक्षा ज्ञापन के कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित रु 26,040.20 को देखा गया है | इस संबंध में यह बताया जाता है कि सभी राशियों का उल्लेख करते हुए इनके समायोजन हेतु दिशानिर्देश की मांग करने वाला एक पत्र दिनांक 14-03-2020 को निगम मुख्यालय को भेजा गया है | यह भी बताया जाता है कि रु 47.20 तथा रु 177 की राशियाँ, जो बैंक द्वारा आरटीजीएस तथा चेक वापसी शुल्क के रूप में काटी गई थीं, उन्हें बैंक द्वारा निगम के खाता सं 2 में वापस कर दिया गया है | अत: उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.12  | **निष्क्रिय - बैंक खाता**बसईदारापुर अस्पताल, डीएमडी, झिलमिल अस्पताल ने 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित निष्क्रिय बैंक खाते दर्शाए हैं : **(आंकड़े रुपये में)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | इकाई का नाम  | सेविंग बैंक खाता  | 31.03.2020 को शेष  | कब से निष्क्रिय है  |
| 1 | डीएमडी | भा.स्टेट बैंक- 10304110889 | 4450.52 | 28.02.2017 |
| 2 | डीएमडी | भा.स्टेट बैंक- 10304101171 | 40088.48 | 30.09.2014 |
| 3 | डीएमडी | भा.स्टेट बैंक- 10304096056 | 0.00 | 31.07.2017 |
| 4. | झिलमिल अस्पताल | भा.स्टेट बैंक- 51017206379 | 1133.00 | -- |
| 5. | बसईदारापुर अस्पताल | भा.स्टेट बैंक- 51024990319 | 3025.18 | -- |

 |  **डीएमडी**(i) खाता संख्या एसबी -10304110889 - शेष रु 4450.52/- । यह खाता निदेशक (एफडब्ल्यू) का खाता सं 2 है और यह निष्क्रिय है क्योंकि वह कार्यालय ईआरपी में लेखा इकाई नहीं है और सभी भुगतान डी(एम)डी के खाता संख्या 2 से किए जाते हैं।(ii) खाता संख्या एसबी -10304101171 – शेष रु .40088.48 । यह खाता ईएसआईसी-नाको (ESIC-NACO) खाता है जिसका रखरखाव मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है | (iii) खाता संख्या एसबी – 10304096056 - शेष रु शून्य । यह खाता ईएसआईसी-फंड खाता संख्या 1 (डीएमडी ) है जिसका रखरखाव मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है | निष्क्रिय - बैंक खाता: क.रा.बी.अस्पताल झिलमिल (खाता सं 51017206379) | भा.स्टेट बैंक के इस खाते को बंद करने हेतु मुख्यालय से पत्राचार प्रारंभ किया गया है । **बसईदारापुर** लेखा परीक्षा ज्ञापन में दिखाया गया निष्क्रिय बैंक खाता क.रा.बी.नि.बचत खाता सं 1 (51024990319) है । यह मुख्यालय के निर्देश के अनुसार निष्क्रिय है | सभी लेन-देन क.रा.बी.नि.बचत खाता सं 2 के माध्यम से किए जा रहे हैं । इसे बंद कर दिया जाएगा ।तथापि, लेखा परीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है तथा मुख्यालय की ओर से सभी निष्क्रिय खातों को बंद करने हेतु भारत की सभी लेखा इकाईयों को सम्बंधित अनुदेश जारी किये जायेंगे | उपरोक्त स्पष्टीकरण और आगे के आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.13  | **लेखा में दर्शाए गए आंकड़ों का रिकार्ड से मेल न खाना**  (i) डीएमडी ने अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची-8) में 'कार्यालय उपकरण’ शीर्ष के तहत रु 50,66,016/- की राशि दर्ज की थी जबकि इसकी प्रविष्टि 31 मार्च 2020 को रखे गए परिसंपत्ति / स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाई गई | (ii) डीएमडी ने अपने समापन स्टॉक में रु 63,900/- मूल्य के तीन पदक (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए गए) दिखाए थे, जबकि 31 मार्च 2020 को प्राप्ति एवं भुगतान की उनकी वर्तमान परिसंपत्तियों में शेष की स्थिति नहीं दिखाई गई थी । | लेखापरीक्षा द्वारा बताये गए अनुसार परिसंपत्तियों के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ की गई हैं ।यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित डेड स्टॉक रजिस्टर में कर्मचारियों के पदकों के सम्बन्ध में शेष भी दर्शाया जा रहा है | उपरोक्त स्पष्टीकरण और आगे के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.14  | **शीर्ष का गलत वर्गीकरण** डीएमडी ने प्राप्ति व भुगतान खाते में ‘सोसायटी/पीएलआई/ यूनियन/ अधिकारी संगठन/ एसबीएफ व अन्य पार्टियों के समक्ष कटौती’ की प्राप्ति तथा भुगतान दिखाया है जबकि शेष राशि वास्तव में तृतीय पक्ष के सेवा कर के प्रति कटौती से संबंधित है । विवरण निम्नानुसार है :

|  |  |
| --- | --- |
| 31 मार्च 2020 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता  | ‘सोसायटी/पीएलआई/ यूनियन/ अधिकारी संगठन/ एसबीएफ व अन्य पार्टियों के समक्ष कटौती’ के रूप में दर्ज  |
| प्राप्ति पक्ष  | 39,97,1178 |
| भगतान पक्ष  | 35,83,4962 |

डीएमडी ने कंप्यूटर अग्रिम – रु 43,033/- (क.रा.बी.अस्पताल उद्योगमंडल) को 31 मार्च 2020 के अनुलग्नक – ई : प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के सस्पेंस स्लिप की विवरणी में दर्शाया है जबकि शेष राशि वास्तव में 'दवाओं की आपूर्ति’ से सम्बंधित है | | यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा में जीएसटी टीडीएस की प्रविष्टि हेतु कोई अलग शीर्ष नहीं था | अत: यह राशि **अन्य पार्टियों को देय** शीर्ष में दर्ज की गईवदेयता का निर्वहन किया गया । तथापि, अप्रैल 2020 से संबंधित शीर्ष को मासिक लेखा में शामिल किया गया है व कटौती को जीएसटी टीडीएस शीर्ष में दर्ज किया जा रहा है | यह भी बताया जाता है कि डीएमडी इकाई ने कंप्यूटर अग्रिम – रु 43,033/- (क.रा.बी.अस्पताल उद्योगमंडल) को 31 मार्च 2020 के अनुलग्नक – ई : प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के सस्पेंस स्लिप की विवरणी में दर्शाया है जबकि शेष राशि वास्तव में 'दवाओं की आपूर्ति’ से सम्बंधित है | यह भी बताया जाता है कि कंप्यूटर अग्रिम के तहत की गई प्रविष्टि सही है क्योंकि यह केवल कंप्यूटर अग्रिम से संबंधित है ।उपरोक्त स्पष्टीकरण और आगे के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान करें |  |
| ई.15 | **1,17,400/- रुपए के प्रतिभूति जमा का अग्रिम के तौर पर गलत वर्गीकरण** कराबी अस्पताल, बसईदारापुर ने मेसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को प्रतिभूति जमा के तौर पर 1,17,400/- रुपए का भुगतान किया था जबकि वास्तविक प्रविष्टि दि- 31.03.2020 को अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में की गई थी | इसके कारण अग्रिमों की अधिकता एवं प्रतिभूति जमा में 117400/- रुपए की न्यूनोक्ति हुई है |  | लेखा परीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में आवश्यक सुधार प्रविष्टि दर्ज की जाएगी |  |
| ई.16 | निम्नलिखित शीर्षों के नामों में संशोधन की आवश्यकता है –

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | लेखा में दर्शाए गए शीर्षों के नाम  | संशोधित शीर्ष |
| 1. | सेवा कर हेतु कटौती | वस्तु एवं सेवा कर हेतु कटौती |
| 2. | सीजीएचएस हेतु कर्मचारियों का अंशदान  | चूँकि कर्मचारी सीजीएचएस के अधीन पंजीकृत नहीं थे अतः नाम में उपयुक्त संशोधन किया जाए  |

 | लेखा परीक्षा के सुझावानुसार, नाम में संशोधन किया गया है |उपरोक्त अनुपालन को को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान किया जाए |  |
| ई.17 | रुपए 5000/- के नीचे ‘खरीदी गई परिसंपत्तियों’ के अधीन रुपए 15,89,315/- की राशि दर्ज की गई है जिसमें दि- 02 जनवरी 2020 को खरीदे गए रुपए 757452/- के 474 यूपीएस (650 वोल्ट) को वर्ष 2019-20 के दौरान अचल परिसंपत्तियों (मुख्यालय) में शामिल नहीं किया गया है | इसके कारण अचल परिसंपत्तियों में रुपए 757452/- की न्यूनोक्ति हुई है |  | यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भुगतान माह मार्च 2020 में किया गया था | सम्बंधित व्यय माह मार्च 2020 के लेखा में “अन्य परिसंपत्तियां- कार्यालय उपकरण (रुपए 5000/- से नीचे की वस्तुएं) के अधीन दर्ज किया गया है | अतः अचल परिसंपत्तियों में कोई न्यूनोक्ति नहीं है | उपरोक्त अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान किया जाए | |
| ई.18 | **अलग अलग राज्यों में निगम के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं :-** |  |
| ई.18.1 | **कराबीनि, गुजरात- क्षेत्रीय कार्यालय (गु.क्षे.का.), अहमदाबाद, वर्ष 2019 – 20 हेतु**  |  |
| ई.18.1.1 | **वर्तमान परिसंपत्ति में न्यूनोक्ति** कराबीनि, गु.क्षे.का., अहमदाबाद के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कराबीनि, गु.क्षे.का., अहमदाबाद ने सहायक निदेशक रोकड़ शाखा (पोस्ट ऑफिस) को बीपीसी, अहमदाबाद में उपयोग की गई सेवाओं हेतु अग्रिम का भुगतान किया था परन्तु शेष राशि 1,82,971/- का समायोजन अंतिम लेखा में नहीं किया गया | इसके कारण **परिसंपत्ति** में न्यूनोक्ति पाई गई |  | वर्तमान परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस को दिए गए तिमाही अग्रिम को अन्य अग्रिम विविध -106040100000001 के भुगतान एवं प्राप्ति पक्ष के अधीन दर्ज किया गया था | पोस्ट ऑफिस द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद जब भी शाखा को बिल प्राप्त होते हैं उसकी अगली तिमाही में इसका समायोजन किया जाता है | बिलों का समय से समायोजन करने के लिए समुचित प्रयास किये जाते हैं तथा दि- 30.09.2020 को असमायोजित अग्रिम राशि रु. 98970/- है | यह भी उल्लेख किया जाता है कि लेखा प्रक्रिया के अनुसार किसी एजेंसी अथवा कर्मचारी को दिए गए अग्रिम को प्रथमतया अग्रिम के अधीन दर्ज किया जाता है एवं समायोजन के समय इसे लेखा शीर्ष में वास्तविक व्यय के अधीन दर्ज किया जाता है, इस तथ्य की परवाह किये बिना कि समायोजन उसी वित्त वर्ष में किया गया है या अगले वित्त वर्ष में | अतः लेखा परीक्षा द्वारा दर्शाए अनुसार रुपए 182971/- के अग्रिम की शेष राशि लेखा में विविध अग्रिम शीर्ष के अधीन उपलब्ध है तथा मासिक लेखा में वास्तविक व्यय के रूप में इसकी प्रविष्टि पोस्ट ऑफिस से समायोजन बिल प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी | फ़िलहाल वर्तमान परिसंपत्तियों की कोई न्यूनोक्ति नहीं है | उपरोक्त अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान किया जाए | |
| ई.18.1.2 | **डेड स्टॉक रजिस्टर का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना**कराबीनि मुख्यालय द्वारा दि- 28.02.2018 को जारी की गई लेखांकन नीति के बिंदु संख्या 25 के अनुसार सभी स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खरीदी गई एवं स्वीकृत सभी संपत्तियों को डेड स्टॉक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए | लेखा परीक्षा ने पाया कि डेड स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं है | लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाए गए डेड स्टॉक के प्रमाणपत्र में डेड स्टॉक के प्रारंभिक शेष का उल्लेख नहीं था | अतः इसके निवल शेष का पता नहीं लग पाया | निगम ने कहा कि रजिस्टर अगली लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा |  | यह बताया जाता है कि क्षे.का. अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सूचनार्थ संलग्न है | अगली लेखा परीक्षा को डेड स्टॉक रजिस्टर दिखाया जाएगा तथा इसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ एवं रिकार्ड हेतु प्रस्तुत की जा रही है | यह भी बताया जाता है कि रजिस्टर तैयार है एवं अगली लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा | उपरोक्त अनुपालन को देखते हुए, लेखा परीक्षा से अनुरोध है कि टिप्पणी का निपटान किया जाए | |